UPHT010037522022

<u>**न्यायालय-बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), प्रथम,हाथरस।**</u>

पीठासीन अधिकारी-जेबा मजीद, (अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट, यू.पी.2647)

फौजदारी अपील संख्या-42/2022

बाल अपचारी की पहचान प्रकट न हो बवजह इसके बाल अपचारी का नाम, पिता/माता का नाम व उसके गांव आदि का नाम इस अपील के निस्तारण में दर्शित नहीं किया जा रहा है।

01.किशोर अपचारी, पुत्र ....निवासी-ग्राम.........थाना-कोतवाली हाथरस, जिला- हाथरस।

..........अपीलकर्ता

बनाम

02.उत्तर-प्रदेश सरकार

........विपक्षी संख्या-01

03. अनिल पुत्र सुखराम, निवासी-गौशाला रोड, थाना-कोतवाली हाथरस,

........विपक्षी संख्या-02

01. **प्रस्तुत अपराधिक अपील,** अपीलकर्ता किशोर अपचारी द्वारा पिता (संरक्षक) ने मय शपथपत्र, अन्तर्गत धारा-101 किशोर न्याय, (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, अपराध संख्या-501/2019, अन्तर्गत धारा-376 ए.बी.,506 भा०दं०सं० व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना-कोतवाली हाथरस, जनपद-हाथरस, में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. **बाल अपचारी** को किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.09.2022 के द्वारा मु०अ०सं० 501/2019, अन्तर्गत धारा-376 ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध कर एक वर्ष के लिए राजकीय सम्प्रेषण गृह-मथुरा भेजे जाने एवं

10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

03. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** "दिनांक-10.11.2019 को दोपहर के समय करीब 11.00 बजे पीड़िता उम्र-8 वर्षीय घर के बाहर मौहल्ले में बच्चों के साथ खेल रही थी तभी मौहल्ले का रहने वाला बाल अपचारी वहां पर आया तथा वहां खेल रहे अन्य बच्चों को लालच देकर वहां से भेज कर पीड़िता को अपने घर ले गया तथा पीड़िता के साथ बुरा काम किया। पीड़िता ने यह बात अपनी माता को बतायी। जब वादी मुकदमा ने बाल अपचारी के घर शिकायत की तो मारने की धमकी देते हुए उस पर फैसले का दबाव बनाया रहे। इस तहरीर के आधार पर प्रस्तुत मुकदमा दर्ज हुआ।"

04. **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि** अभियोजन पक्ष की ओर से किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, के समक्ष तथ्य के तीन साक्षीगण पी.डब्ल्यू.01 अनिल (वादी), पी.डब्ल्यू.02 (पीड़िता) व पी.डब्ल्यू.03 पीड़िता की मां को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया, किन्तु किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य गलत विश्लेषण करते हुए प्रश्नगत आदेश/निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने साथ किसी प्रकार की घटना होने से इंकार किया है तथा अपचारी बाल अपचारी के द्वारा अपने साथ कोई गलत काम करने से इन्कार किया है, किन्तु किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा इस साक्ष्य की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत आदेश/निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। चिकित्सीय घात आख्या से भी कथित पीड़िता के साथ किसी प्रकार के बलात्कार आदि की पुष्टि नहीं हुई है किन्तु किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इस साक्ष्य की अनदेखी कर प्रश्नगत निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा संभावनाओं व अटकलों पर विश्वास करते हुए प्रश्नगत आदेश/निर्णय पारित किया है जो कि विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू.03 ने भी अपनी साक्ष्य में कथित पीड़िता के साथ अपचारी द्वारा बलात्कार करने से इन्कार किया है, किन्तु माननीय किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा इस साक्ष्य पर बिना कोई निष्कर्ष निकाले प्रश्नगत आदेश/निर्णय पारित कर त्रुटि कारित की है। अभियोजन पक्ष अपने केस को किसी भी साक्ष्य से कतई सिद्ध नहीं कर पाया किन्तु किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा प्रश्नगत आदेश/निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रदर्श क-1 पर वादी मुकदमा के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे प्रथम दृष्टया रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट संदिग्ध सिद्ध होती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दो दन बाद

काफी विलंब से थाने पर पंजीकृत कराई गई है। पी.डब्ल्यू.03 ने अपनी जिरह में यह बताया है कि मौहल्ले वालों के कहने के आधार पर मेरे पति ने मुकदमा लिखा दिया है इससे यह सिद्ध होता है कि वादी द्वारा अपचारी के विरूद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है, किन्तु किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत आदेश/निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त होने योग्य है। उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश/निर्णय दिनांक 12.09.2022 को निरस्त किया जाना व अपीलाण्ट/अपचारी को दोषमुक्त किया जाना न्यायहित में परमावश्यक व न्यायोचित है, अतः आलोच्य आदेश दिनांकित 12.09.2022 को निरस्त करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

05. **विपक्षी संख्या-01, राज्य की ओर से** विद्वान विशेष लोक अभियोजक व विपक्षी संख्या-02 (वादी मुकदमा) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, द्वारा पारित आदेश को सही बताते हुए उपरोक्त आदेश की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की।

06. **न्यायालय ने अपीलार्थी के** विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या-01 राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विपक्षी संख्या-02 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

07. **इस स्तर पर** अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों की गवाही का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

7.1 **पी.डब्ल्यू.-01 वादी मुकदमा/पीड़िता के पिता** ने सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक-10.11.2019 सुबह 04.00 बजे की है। मेरी बेटी उम्र 08.00 साल घर के बाहर मौहल्ले में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। हमारे मौ० का रहने वाला बाल अपचारी वहां पर आया तथा वहां खेल रहे अन्य बच्चों को मेरी बच्ची को अपने घर ले गया और मेरी बच्ची के साथ बुरा काम किया। मेरी बेटी ने यह बात मेरी पत्नी को बतायी तब मैंने बाल अपचारी की शिकायत की तो मारने की धमकी देते हुए मुझपर फैसले के लिए दबाव बनाया। मैं नहीं माना तब अपनी रिपोर्ट दर्ज करायी। पत्रावली में संलग्न तहरीर पर प्रदर्श क-1 डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन मैं सुबह 06.00 बजे ही काम पर चला गया था। मैं हलवाई के यहां काम करता हूं। यह बात सही है कि घटना वाले दिन अपचारी को मेरी बेटी को ले जाते नहीं देखा। घटनास्थल अपचारी की छत का होना बताया है। यह बात सही है कि अपचारी और पीड़िता को छत पर किसी ने नहीं देखा। घटना की रिपोर्ट मैं दो दिन बाद दर्ज कराने गया था। यह बात सही है कि मौहल्ले के लोगों ने मुझे अपचारी का नाम बताया। रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले मेरी पत्नी से कोई बात नहीं हुई थी। यह घटना मेरी पत्नी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखी है। यह बात सही है कि मौहल्ले के लोगों से अपचारी व उसके पिता की रंजिश चल रही है। यह कहना गलत है कि आपसी रंजिश के कारण मौहल्ले के लोगों ने मुझको अपचारी के नाम रिपर्ोट दर्ज कराने के लिए उकसाया हो। घटना के समय मेरी बेटी की उम्र 08 साल थी। बुरा काम क्या होता है वह नहीं जानती। यह बात सही है कि मेरी बोटी पीड़िता अपचारी को नहीं जानती है। यह कहना सही है कि थाने पर दी गयी तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना गलत है कि मौहल्ले वालों के कहने पर मैंने अपचारी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी हो। एफ.आई.आर. तहरीर मैंने विष्णु से लिखवायी थी। लिखवाने के बाद मैंने तहरीर को नहीं पढ़ा था और ना ही पढ़कर सुना था।

7.2 **पी.डब्ल्यू.-02 पीड़िता** ने सशपथ बयान किया है कि मेरे साथ जो घटना हुई थी वह एक-दो साल पहले की है। घटना दोपहर की थी, जिसने गलत काम किया था उसका नाम याद नहीं है, वह मेरे आसपास का ही था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या घटना हुई थी। बोर्ड में खड़े अपचारी को देखकर कहा कि मुझे नहीं पता यह कौन है। मेरे साथ जो घटना हुई थी उसको मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया था। घटना में मेरे कहीं खून नहीं निकला था।

7.3 **पी.डब्ल्यू.03 साक्षी पीड़िता की मां** उम्र लगभग 32 वर्ष ने सशपथ बयान किया है कि मैं थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी हूं। तारीख, महीना सन् जानती हूं। दिनांक 10.11.2019 को करीब 11.00 बजे दोपहर में बाल अपचारी ने मेरे सामने मेरी लड़की पीड़िता, जिसकी उम्र उस समय सात-आठ साल की थी कोई गलत काम नहीं किया और ना जान से मारने की धमकी दी। मेरी लड़की ने मुझे बाल अपचारी के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की कोई बात नहीं बतायी थी।

अभियोजन द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे। गवाह को 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दरोगा जी ने कैसे लिखा इसकी वजह नहीं

बता सकती। ये कहना सही है कि मौहल्ले के संवृान्त लोगों ने हम लोगों का समझौता करा दिया है। यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण सही बात नहीं बता रही हूं। मेरी लड़की खेलते हुए कुछ चोटिल हो गयी थी। इस कारण से रोते हुए आयी तो मैं घबरा गयी। मौहल्ले क कुछ लोग कह रहे थे कि इसके साथ गलत काम हुआ है। मौहल्ले वालों के कहने के आधार पर मेरे पति ने मुकदमा लिखा दिया था। मौहल्ले कौन-सा व्यक्ति बाल अपचारी का नाम गलत काम किये जाने के संबंध में बताया था यह मुझे ध्यान नहीं है। मैंने अपने पति को अपनी लड़की के साथ गलत काम किये जाने के संबंध में कोई बात नहीं बतायी थी। यह कहना गलत है कि मैं बाल अपचारी के दबाव व भय में सही बात नहीं बता रही हूं।

08. **अपराध अन्तर्गत धारा-376 ए.बी.,506 भा०दं०सं० व 5/6 पॉक्सो एक्ट:-**बाल अपचारी को धारा-376 ए.बी.,506 भा०दं०सं० व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दंडित किया गया है, अतः इन धाराओं के आवश्यक तत्वों को जानना जरूरी है, अतः इस स्तर पर इन धाराओं का उल्लेख किया जाना प्रासांगिक है।

S.5(m) Penetrative Sexual Assault:-"*Whoever commits penetrative sexual assault on a child below twelve years; or"*

S.375 Rape:- "*A man is said to commit "rape" if he-*

(a) *penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other persons; or*
(b) *inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or*
(c) *manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person; or*
(d) *applies his mouth to the vagina, urethra of woman or makes her to do so with him or any other person,*
under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:-

First- *Against her will.*

Secondly*-Without her consent.*

Thirdly- *With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt*

Fourthly- *With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he*

is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifthly- *With her consent when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent*

Sixthly- *With or without her consent, when she is under eighteen years of age.*

Seventhly- *When she is unable to communicate consent.*

Explanation.-1. *For the purposes of this section, "Vagina" shall also include labia majora.*

Explanation.-2. *Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication, communicates willingness to participates in the specific sexual act:*

Provided *that woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity.*

Exception1*. A medical procedure of intervention shall not constitute rap*

Exception2. *Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape.*

S.376AB Punishment for rape on woman under twelve years of age:-"*Whoever, commits rape on a woman under twelve years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine or with death."*

Provided *that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim*

Provided further *that any fine imposed under this section shall be paid to the victim*

S.503Criminal intimidation:- *"Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of any one in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation."*

Explanation:- *A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested, is within this section."*

S.506 Punishment for criminal intimidation:-*"Whoever commits, the offence of criminal intimidation shall be punished with imprison of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both;"*

09. उपरोक्त धाराओं के परिशीलन से स्पष्ट है कि धारा-6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता जिसकी आयु-12 वर्ष से कम है, के विरूद्ध प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध कारित किया गया। धारा-376 ए.बी. भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना होता है कि अभियुक्त ने 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ बलात्कार कारित किया है। इसके अतिरिक्त धारा-506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना होता है कि अभियुक्त ने धारा-503 भा०दं०सं० में परिभाषित आपराधिक अभित्रास कारित किया है।

10. अभियोजन द्वारा धारा-376 ए.बी., 506 भा०दं०सं० व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित पब्लिक विटनेस वादी मुकदमा को पी.डब्ल्यू.01 के रूप में, पीड़िता को पी.डब्ल्यू.02 के रूप में व पीड़िता की मां को पी.डब्ल्यू.03 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

10.1 **पी.डब्ल्यू.02 पीड़िता** ने किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, के समक्ष दिनांक-13.05.2022 को अंकित हुए बयान में कथन किया है कि"*जिसने गलत काम किया था, उसका नाम याद नहीं है, वह मेरे आसपास का ही था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या घटना हुई थी। बोर्ड में खड़े अपचारी को देखकर कहा कि मुझे नहीं पता ये कौन है? उसी दिन*

अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पीड़िता ने कथन किया है कि मुझे नहीं पता कि बाल अपचारी ने मेरे कपड़े उतारे तथा उसके बाद अपने उतारे थे। मुझे नहीं पता कि बाल अपचारी ने चाकू से गला काटने की धमकी दी थी या नहीं। उसी दिन बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पीड़िता ने कथन किया है कि मैं बाल अपचारी को नहीं जानती हूं। बाल अपचारी ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। "

इस प्रकार पीड़िता के उपरोक्त बयान के परिशीलन से स्पष्ट है कि उसने बाल अपचारी के द्वारा उसके विरूद्ध कोई भी अपराध किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है तथा बोर्ड के समक्ष उपस्थित बाल अपचारी को पहचाना भी नहीं है।

10.2 **पी.डब्ल्यू.01 वादी मुकदमा (पीड़िता के पिता)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " जब उसकी बेटी (पीड़िता) उम्र-8 वर्ष, घर के बाहर खेल रही थी, तो हमारे मौहल्ले का रहने वाला बाल अपचारी वहां पर आया तथा वहां खेल रहे अन्य बच्चों को, मेरी बच्ची को अपने घर ले गया और मेरी बच्ची के साथ बुरा काम किया। मेरी बेटी (पीड़िता) ने यह बात मेरी पत्नी (पीड़िता की मां) को बताई तब उसने बाल अपचारी से शिकायत की। उसी दिन अंकित की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना वाले दिन मेरी पत्नी ने बाल अपचारी को पीड़िता को ले जाते नहीं देखा था। रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले मेरी पत्नी से कोई बात नहीं हुई थी। यह घटना मेरी पत्नी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखी।

साक्षी के उपरोक्त बयान के परिशीलन से विदित है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, वह प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा है, परन्तु उसने प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, अतः वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है एवं इस साक्ष्य के आधार पर सजा नहीं की जा सकती है।

10.3 **पी.ड्ब्ल्यू.03 पीड़िता की मां** ने किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, के समक्ष दिनांक-24.06.2022 को अंकित बयान में कथन किया है कि दिनांक-10.11.2019 को करीब 11.00 बजे दोपहर में बाल अपचारी ने मेरी पुत्री (पीड़िता), उस समय उम्र-7/8 साल के साथ, कोई गलत काम नहीं किया और ना जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मुझे बाल अपचारी के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की कोई बात नहीं बताई थी। मैंने अपनी पति को अपनी लड़की के साथ गलत काम किये जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई। यह कहना गलत है कि मैं बाल अपचारी के दबाव व भय से सही बात नहीं बता रही हूं।

साक्षी के उपरोक्त बयान के परिशीलन से विदित है कि वह घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा उसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

11. अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए मात्र तीन अभियोजन साक्षी अर्थात पीड़िता के पिता पी.डब्ल्यू.01, पीड़िता पी.डब्ल्यू.02 व पीड़िता की माता पी.डब्ल्यू.03, को परीक्षित कराया है। उपरोक्त गवाहों के बयानों के परिशीलन से स्पष्ट है कि किसी भी गवाह ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है अपितु पीड़िता ने स्पष्ट कथन किया है कि बाल अपचारी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है तथा बाल अपचारी को देखकर उसने कथन किया है कि मुझे नहीं पता ये कौन है?

12. **पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि** विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, ने अपने निर्णय में माननीय संवैधानिक न्यायालयों की विधि-व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि पक्षद्रोही गवाह का साक्ष्य किस स्तर तक साक्ष्य में पढ़ा जायेगा। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षद्रोही गवाह के बयान के उस पार्ट को, जिसमें उसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, पर विश्वास किया जा सकता है तथा पक्षद्रोही गवाह की पूरी गवाही डिस्कार्ड नहीं की जा सकती, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता व उसकी मां ने किसी भी स्तर तक अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, अतः इन गवाहों की गवाही से अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से साबित नहीं होता है। पीड़िता के पिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु उसी दिन अंकित की गयी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। चूंकि इस साक्षी द्वारा एक ही दिन में दो विरोधाभासी कथन किये गये हैं, अतः यह विश्वसनीय साक्षी नहीं है तथा इस प्रकार के गवाह की गवाही पर विश्वास करते हुए सजा नहीं की जा सकती है। चूंकि विधि का यह भी सुस्थापित नियम है कि सजा करने के लिए यह आवश्यक है कि साक्षी की प्रतिपरीक्षा द्वारा विश्वसनीयता सिद्ध हुई हो तथा साक्षी विश्वसनीय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह की मुख्य परीक्षा के आधार पर भी बाल अपचारी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपने निर्णय में यह भी उल्लिखित किया है कि पीड़िता की मां साक्षी संख्या पी.डब्ल्यू.03 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि *यह कहना सही है कि मौहल्ले के संभ्रान्त लोगों ने हम लोगों का समझौता करा दिया है, तथा निष्कर्ष दिया है कि पीड़िता की आयु घटना के समय सात से आठ वर्ष थी तथा उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है, तो क्या माता-पिता समझौता/फैसले के आधार पर वाद*

के गुण-दोष को प्रभावित कर सकते हैं। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, का यह तर्क रिकार्ड के विरूद्ध है क्योंकि जिरह में पीड़िता की माता ने यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण सही बात नहीं बता रही हूं। इसके अतिरिक्त पीड़िता के माता-पिता घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, ना ही उन्होंने घटना का समर्थन किया है तथा स्वयं पीड़िता ने बाल अपचारी द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता सर्वोत्तम साक्षी है, परन्तु उसने बाल अपचारी को पहचाना नहीं है तथा बाल अपचारी द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। इस प्रकार स्वयं पीड़िता द्वारा भी अभियोजन कथानक का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है।

13. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि बाल अपचारी के विरूद्ध धारा-6 पॉक्सो एक्ट व 376 ए.बी. भा०दं०सं० के आरोप विरचित किये गये हैं। धारा-6 पॉक्सो एक्ट व 376 ए.बी. भा०दं०सं० के अन्तर्गत दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा यह साबित करना आवश्यक है कि पीड़िता घटना की दिनांक पर नाबालिग अर्थात 12 वर्ष से कम आयु की थी, परन्तु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि घटना की दिनांक पर पीड़िता 12 वर्ष से कम आयु की थी। उपरोक्त साक्ष्य के अभाव में धारा-6 पॉक्सो एक्ट व 376 ए.बी. भा००दं०सं० के अन्तर्गत दंडनीय अपराध साबित नहीं होता है।

14. अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए मात्र मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल किया गया है तथा कोई चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है, परन्तु उसे अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं कराया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, द्वारा चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांकित-13.11.2019 में अंकित प्रविष्टि का उल्लेख अपने निर्णय में किया है जबकि उपरोक्त चिकित्सीय परीक्षण आख्या को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, के अनुरूप सिद्ध नहीं किया गया है।

15. प्रार्थी/बाल अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय का ध्यान, आलोच्य निर्णय, दिनांकित-12.09.2022 के आदेश की तरफ आकृष्ट कराया गया तथा कथन किया गया कि निर्णय में बाल अपचारी को मुकदमा अपराध संख्या-200/2002, अन्तर्गत धारा-376 ए.बी. व 5/6 पॉक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, (निर्णय में इसी प्रकार अधिनियम, उल्लिखित है) थाना-सहपऊ, जनपद-हाथरस, के आरोप में

दोषसिद्ध किया गया है जबकि मु०अ०सं० 501/2019 तथा थाना-कोतवाली है। निर्णय के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही कथन किया गया है।

16. उपरोक्तवर्णित विश्लेषण के आधार पर विद्वान किशोर न्याय, बोर्ड, हाथरस, द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांकित-12.09.2022, विधि विरूद्ध व प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः आलोच्य निर्णय दिनांक 12.09.2022 अपास्त किये जाने योग्य है तथा बाल अपचारी प्रस्तुत प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतएव, उपरोक्तवर्णित विश्लेषण के आधार पर बाल अपचारी द्वारा संरक्षक प्रस्तुत अपील संख्या-42/2022 स्वीकार की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांकित 12.09.2022 को अपास्त किया जाता है। बाल अपचारी को मु०अ०सं० 501/2019, अन्तर्गत धारा-376 ए.बी.,506 भा०दं०सं० व 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना-कोतवाली हाथरस, जिला-हाथरस, में दोषमुक्त किया जाता है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, की पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ अविलंब किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस, को प्रेषित की जाये।

दिनांक-04.02.2023

(जेबा मजीद)
(जे.ओ.कोड-यू.पी.02647)
विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय
हाथरस।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-04.02.2023

(जेबा मजीद)
(जे.ओ.कोड-यू.पी.02647)
विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय
हाथरस।

Digitally signed by Zaiba Majid
Date: 2023.02.07 11:22:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court